

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ३६९ /जयपुर/1998-९९

यह प्रमाणित किया जाता है कि अश्रुतोध परिवार
जादपा जिला जयपुर

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक १३ माह ८ सन् एक हजार नौ सौ १९९८

को जयपुर में दिया गया।

१९
सरकारी राज्य
रजिस्ट्रार संभाषण
रजिस्ट्रीकरण संस्थान
जयपुर

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-१

आद्युतोष पब्लिक स्कूल समिति

मण्डा भीमसिंह, वाया—जोबनेर जयपुर

क्रमांक:-

दिनांक:

विधान में संशोधित किये गये नियम का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम नया नियम
1.	03	विधान के वर्तमान समस्त उद्देश्य	विधान में वर्तमान उद्देश्यों के अतिरिक्त जोड़े गये उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. शिक्षा व शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अन्य विधाओं में अनुसंधान करना।
2. विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में शिक्षण अनुसंधान की व्यावस्था करना व राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की योजनाओं को लेकर कियानवन करना।
3. कम्प्यूटर शिक्षा देने के उद्देश्य से मान्यता लेकर, कम्प्यूटर में सभी प्रकार की शिक्षा हेतु संस्थान व तकनिकी व महाविधालय प्रारम्भ करना, स्थापित करना, संचालन करना, अधिकार में लेना व प्रबन्ध करना।
4. व्यावसायिक व कला कौशल व रोजगार परक शिक्षा देने के उद्देश्य से मान्यता लेकर ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना करना, संचालन करना, अधिकार में लेना व प्रबन्ध करना।

राज. संघ राजि. स्कूल समिति १९९८

क्र. संख्या ३२५

मान्यता है कि इस विधान समिति द्वारा गठित दस्तावेजों की संख्या से पृष्ठ २०० से अधिक है, जो निम्नान्त है।
 १. भक्ति विद्या विभाग की दिनांक २४.३.०९
 २. भक्ति विद्या विभाग की दिनांक २४.३.०९
 ३. भक्ति विद्या विभाग की दिनांक २४.३.०९

(Signature)

(Signature)

Ram

अध्यक्ष

(Signature)

सचिव

(Signature)

कोषाध्यक्ष

आद्युतोष पञ्चिक स्कूल समिति

मण्डा भीमसिंह, वाया—जोबनेर जयपुर

क्रमांक:-

दिनांक:

विधान में संशोधित किये गये नियम का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम नया नियम
1.	11	अध्यक्ष	— 1
		उपाध्यक्ष	— 1
		मंत्री	— 1
		कोषाध्यक्ष	— 1
		सदस्य	— 10
		<u>पदेन सदस्य</u>	<u>पदेन सदस्य</u>
		विभागिय प्रतिनिधि	— 1
			<u>विभागिय प्रतिनिधि</u> — 1
		कुल सदस्य	— 15
		कुल सदस्य	— 21

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

राज. संसद राजिक्षेत्र अधिकारी 1852

की धारा 18 के तहत

यह प्रकाशित किया जाता है कि वर्तमान विषय में दाखिल कराये गये दस बैज से पृष्ठ सं. से पृष्ठ तक है, की सत्यप्राप्ति है।

1. अकल देने की दिनांक 24.3.08
2. अकल तैयार करने वाले के इस्ताबद्दि

प्रेसिडेंस और स्थान
जयपुर

आद्युतोष पब्लिक स्कूल समिति

मण्डा भीमसिंह, वाया—जोबनेर जयपुर

क्रमांक:-

दिनांक:

विधान में संशोधित किये गये नियम का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम नया नियम
1.	11	<u>पंजीकृत कार्यालय</u> भादवा, जयपुर	<u>पंजीकृत कार्यालय</u> मण्डा भीमसिंह, वाया — जोबनेर जयपुर

Ram
अध्यक्ष

Bromfej
सचिव

जगदीश
कोषाध्यक्ष

व. लंगड़ा निष्ठेश्वर अधिनियम 1968

की धारा 18 के तहत

यह प्रकाशित किया जाता है कि बाहरी अस्था
दिवस में दाखिल कराये गये दस्तावेज जो
पृष्ठ सं से पृष्ठ
तक है, की सत्याग्रहिता है।

1. नकल देने की दिनांक 24.3.08
2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

B. S. J.
विद्यालय समिति
जयपुर